04/6/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उम्मेद पक्ष द्वारा वाद वापिस स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया डिक्री जारी हो नियम से कायम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2026/56

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :— भरत जयप्रकाश मीना आई.ए.एस.

प्रकरण नं0 31 / 2026 GCMS:- 2026/56 दायरा दिनांक 22.01.2026

1. नक्षत्रसिंह पुत्र श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अमरजीतसिंह पुत्र श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. बलकरणसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. बलजीतकौर पत्नी बलकरणसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. नवनीतकौर पत्नी नक्षत्रसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. अमनदीपकौर पत्नी अमरजीतसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :—

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ वकील — वादीगण
2. श्री राहुल शर्मा वकील प्रतिवादी नं. 1 ता 4
3. पैरोकार राज.

—:: निर्णय ::— **दिनांक :—** 04.06.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1 के नाम से वाके चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' के खाता संख्या 34 / 19 के पत्थर नं. 81 / 357 (18) के किला नं. 1 ता 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 7 ता 14, 15 / 1, 15 / 2, 16 / 1, 16 / 2, 17 ता 24, 25 / 1, 25 / 2 में कुल 6.325 हैक. (6.200 हैक. कमाण्ड व 0.125 हैक. खाला) खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 को विरास्तन में प्राप्त हुई है।वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 ता 4, प्रतिवादी नं. 1 के पुत्रगण / पत्नी / पुत्रवधुऐं है। जिनका प्रतिवादी नं. 1 के नाम की भूमि जो विरास्तन प्राप्त है उसमें वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार हक व हिस्सा समाहित है। प्रतिवादी नं. 1 के नाम से वाके चक 12 एस.एच.पी.डी. के खाता संख्या 32 / 30 के पत्थर नं. 84 / 355 (7) के किला नं. 1 / 2, 2 ता 6, 7 / 1, में कुल 1.518 हैक. भूमि व इसी चक 12 एस.एच.पी.डी. के खाता संख्या 31 / 10 के पत्थर नं. 84 / 355 (7) के किला नं. 7 / 2, 8—9, 10 / 1 में 0.962 हैक. कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों खातों की कुल 2.480 हैक. कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस कारण प्रतिवादी नं. 1 के नाम अपना हिस्सा पहले से ही ले रखा है। इस कारण स`अब जैर प्रकरण रकबा में वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 ता 4

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अपना हिस्सा घोषित करवा सकते है। प्रतिवदी नं. 1 के नाम चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' व 12 एस.एच.पी.डी. का रकबा नाम होने से प्रतिवादी नं. 1 चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' का रकबा बेचान करना चाहता है व वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 ता 4 को उनके हकोंसे वंचित करना चाहता है। वादीगण उक्त जैर प्रकरण रकबा चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' के खाता संख्या 34/19 के पत्थर नं. 81/357 (18) के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 = 6.325 हैक. में से वादीगण का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का 3/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम के रकबा से कलमजन कर दर्ज की जानी आवश्यक है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.02.2026 को पेश हुई। दिनांक 03.02.2026 को प्रतिवादी नं 1 ता 4 की तरफ से श्री राहुल शर्मा वकील ने वकायलनामां पेश किया। पत्रावली वास्ते दिनांक 17.02.2026 को पेश हो। दिनांक 17.02.2026 को पेश हुई। दिनांक 17.02.2026 को उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते दिनांक 06.04.2026 को पेश हो। दिनांक 06.04.2026 को पेश हुई। दिनांक 06.04.2026 को उभय पक्ष उपस्थित वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी संख 1 ता 4 किया गया। शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते दिनांक 08.04.2026 को पेश हो। दिनांक 08.04.2026 को पेश हुई। दिनांक 08.04.2026 उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख 1 ता 4 ने इकबाल दावा पेश किया, शामिल मिसल रहे। तनकी की आवश्यकता नही है। वादीगण ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र प्रस्तुत किया, शामिल मिसल रहे। जिरह शून्य रही। साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाना चाहते है। साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.04.2026 को पेश हो। दिनांक 29.04.2026 को पेश हुई। पत्रावली वास्ते दिनांक 18.05.2026 को पेश हो। दिनांक 18.05.2026 को उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26.05.2026 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

अधिवक्ता की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वाके चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' के खाता संख्या 34/19 के पत्थर नं. 81/357 (18) के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 = 6.325 हैक. कमाण्ड मय खाला में से वादीगण का 2/5 हिस्सा यानि 2.530 हैक. व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का 3/5 हिस्सा यानि 3.795 हैक. भूमि ब.हि.बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 के नाम की भूमि वाके चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' के खाता संख्या 34/19 के पत्थर नं. 81/357 (18) के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 = 6.325 हैक. कमाण्ड मय खाला कलमजन की जाकर वादीगण के नाम 2/5 हिस्सा यानि 2.530 हैक. ब.हि.बराबर व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का 3/5 हिस्सा यानि 3.795 हैक. ब.हि.बराबर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

—: डिक्री ब मुक्द्दम इख्तदाई :—

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बइजलास — भरत जयप्रकाश मीना आई.ए.एस.

1. नक्षत्रसिंह पुत्र श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अमरजीतसिंह पुत्र श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— वादी

बनाम

1. बलकरणसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. बलजीतकौर पत्नी बलकरणसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. नवनीतकौर पत्नी नक्षत्रसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. अमनदीपकौर पत्नी अमरजीतसिंह जाति जटसिख चक 9 एस.जी.एम. (साहूवाला) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए मुकदमा नं. 31/2026 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री जसवीरसिंह एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के वकील श्री राहुल शर्मा के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 10 एस.एच.पी.डी. 'बी' के खाता संख्या 34/19 के पत्थर नं. 81/357 (18) के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 = 6.325 हैक. कमाण्ड मय खाला कलमजन की जाकर वादीगण के नाम 2/5 हिस्सा यानि 2.530 हैक. ब.हि.बराबर व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का 3/5 हिस्सा यानि 3.795 हैक. भूमि ब.हि.बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है।

आज .... × .... मुबलिग .... × .... बाबत् .... × .... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह .... × .... कस्दो की पालना .... × ....आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.06.2026 को जारी की गयी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)